FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT   **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur   **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0286   **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/11/2025 17:22 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
4	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन   **Date From (दिनांक से):** 18/03/2020   **Date To (दिनांक तक):** 16/06/2020

   Time Period (समय अवधि): पहर   **Time From (समय से):** 12:00 बजे   **Time To (समय तक):** 11:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):**   **Date (दिनांक):** 04/11/2025   **Time (समय):** 11:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :**   **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001   **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/11/2025 17:22:38 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 02 किमी   **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABL

   (b) **Address(पता):** UP RAGISTAR OFFICE BUNDI

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम):   **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): PUSPENDRA KUMAR JAIN

(b) Father's Name (पिता का नाम): PADAM KUMAR JAIN

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1974 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SAWAIMADHOPUR, Kotwali Sawaimadhopur, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SAROLIYA MOHALLA, CITY SAWAIMADHOPUR, Kotwali Sawaimadhopur, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	AMAR SINGH		पिता:MOHAN SINGH	1. AANAND VIHAR KOTA ROAD BARAN,KOTWALI BARAN,BARAN,RAJASTHAN,IN
2	VIMAL KUMAR TAILOR		पिता:BHANWAR LAL	1. 97,SAJJAN VILA,DWARIKA NAGRI,DEVPURA KOTA ROAD BUNDI,BUNDI,RAJASTHAN,INDA
3	NARESH SHUKLA		पिता:VISHVA PRAKASH SHUKLA	1. AA-1,JANAKPURI PRATHAM,IMLI FATAK JAIPUR,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA
4	ANIL KUMAR RAJAN		पिता:UMMED SINGH RAJAN	1. 298,RAJAT COLONY BUNDI,BUNDI,RAJASTHAN,IND

5	DINESH KUMAR SHARMA		पिता:DEVISHANKAR SHARMA	1. SUVASHA,K PATAN BUNDI,BUNDI,RAJASTHAN,IND
6	KAMLESH KUMAR JAIN		पिता:PHOOLCHAND JAIN	1. JAIN NASIYA MANDIR KE PASS,WARD N. 17,DEI BUNDI,BUNDI,RAJASTHAN,IND
7	GANSIYAM BAJAJ		पिता:GOPI GANESH BAJAJ	1. WARD N. 12,K PATAN BUNDI,BUNDI,RAJASTHAN,IND A
8	RAJKUMAR JAIN		पिता:TARACHAND JAIN	1. WARD N. 16,DEI BUNDI,BUNDI,RAJASTHAN,IND

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, वाक्यात मामला हाजा इस प्रकार है कि कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां बूंदी द्वारा (2020-21) दलहन / तिलहन के खरीद कार्य हेतु निकाली गयी गयी हैंडलिंग एवं परिवहन कार्य की निविदा में तकनिकी रूप से केवल एक फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी देई जिला बूंदी (राज.) को स्वीकृत करके बाकि सभी आवेदक फर्मों की निविदाएं तकनिकी रूप से अस्वीकृत कर दी गयी है। जिसकी तकनीकी रिपोर्ट सलग्न हैं। जिस फर्म का आवेदन तकनीकी रूप से स्वीकृत किया गया हैं उस फर्म का क्रय केंद्र कापरेन का तकनिकी आवेदन पत्र eprocurement पोर्टल पर अपलोड करने की रसीद के साथ सलग्न है इस आवेदन पत्र का अवलोकन करने के पश्चात इसमें निम्न कमियां प्रथम दृष्टिया पायी गयी हैं। जिन्हें कमेटी ने इग्नोर करके इसे स्वीकृत किया गया है। सलग्न आवेदन पत्र की पीडीएफ फाइल के पेज नंबर 10 तकनिकी - 2 पर आवेदनकर्ता फर्म का नाम नहीं लिखा गया है केवल प्रोपराइटर का नाम लिखा हुआ है। आवेदनकर्ता ने एकाकी स्वामी और हिन्दू अविभाजित परिवार दोनी श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत किया है जो सरासर गलत है। आवदेन पत्र के साथ लगाए गए अमानता राशि 30000.00 Rs-. के डिमांड ड्राफ्ट के क्रेता में BR PARKING का नाम है अर्थात वो डिमांड ड्राफ्ट आवेदनकर्ता के अकाउंट से नहीं बना है और साथ ही साथ वो डिमांड ड्राफ्ट निविदा निकलने की दिनांक से पूर्व की दिनांक का बना हुआ है इस कारण निविदा अस्वीकृत होने योग्य है। सलग्न आवेदन पत्र की पीडीएफ फाइल के पेज नंबर 10 तकनिकी - 2 पर आवेदनकर्ता प्रोपराइटर का नाम रामकुमार जैन व ताराचंद जैन लिखा हुआ है जबकि आवेदनकर्ता फर्म के द्वारा लगाए गए सभी दस्तावेजों में आवेदनकर्ता प्रोपराइटर का नाम राजकुमार जैन व ताराचंद जैन है। सलग्न पीडीएफ आवेदन पत्र में पेज नंबर 10, 11, 14. 16, 18, 19, और 20 पर आवेदनकर्ता का नाम और पता लिखने को कहा गया है जो किसी भी पेज पर नहीं लिखा गया है। सलग्न पीडीएफ आवेदन पत्र में लगाए गए सभी ट्रको के अनुबंध की अवधि 07.03.2021 को समाप्त हो रही जबकि ठेका अवधि सलग्न पीडीएफ आवेदन पत्र के पेज नंबर 3 के अनुसार 31.3.2021 तक के लिए है। सलग्न पीडीएफ आवेदन पत्र में पेज नंबर 104 पर अनुबंध पत्र में ट्रक मालिक का नाम दीपिका शर्मा पत्नि रमेश चंद शर्मा लिखा हुआ है जबकि पैज नंबर 107 पर भी मैं मालिक का नाम दीपिका जोशी पुत्र रमेश जोशी है। सलग्न पीडीएफ आवेदन पत्र में पेज नंबर 101 पर अनुबंध पत्र में ट्रक मालिक का नाम इकबाल खान आत्मज शौखीत खान लिखा हुआ है जबकि पेज नंबर 103 पर सलग्न आर सी में मालिक का नाम इकबाल खान आत्मज श्री शौखीत अली है। आवेदन पत्र से कई पृष्ठों पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर कॉपी पेस्ट के द्वारा किये गए है जो सही प्रक्रिया नहीं है सलग्न आवेदन पत्र eprocurement पोर्टल पर अपलोड

करने की रसीद में व्यापर स्थापना वर्ष 2018 लिखा हुआ है जबकि फर्म द्वारा लगाए गए अनुभव प्रमाण पत्र 2012-13, 2013-14 के लगाए गए हैं। इन लगाए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में कार्य की मात्रा और अनुबंध की वास्तविक अवधि नहीं लिखी गयी है। उपरोक्त सभी खामियों को देखते हुए जो सरसरी नजर से देखने पर ही सामने आ जाती है । अगर और गहराई से जाँच की जाये तो और भी कई खामियां इस आवेदन पत्र में हो सकती है। अन्य सभी फर्मा के तकनीकी कर्मो में नियमविरुद्ध खामिया निकलकर तकनीकी रूप से अस्वीकार करके केवल इस फर्म का आवेदन उपरोक्त सभी खामियों को देखते हुए भी तकनिकी रूप से स्वीकृत होना ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं निविदा प्रक्रिया को करते समय कमेटी द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए निविदा स्वीकृत की गयी है। साथ ही साथ जिस फर्म की निविदा स्वीकृत की गयी है उस फर्म की कई केन्द्रो जैसे (नैनवां देई) की कार्य दरे बहुत अधिक है जिसमें राजकोष की हानि होगी । अतः श्रीमान जी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन है की टेण्डर कमेटी द्वारा नियमों की अवहेलना करके एक ही फर्म की कार्यदरों को स्वीकार करके राजकोष को जो हानि पहुंचाई जा रही है उसे तुरंत रोका जाये और नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जावे इत्यादि। उक्त शिकायत पर ब्यूरों मुख्यालय के आदेश क्रमांक 1384-88 दिनांक 17.12.2024 से आरोपीगण श्री अमर सिह, तत्कालिन अध्यक्ष उप रजिस्ट्रार समितियां बून्दी हाल सेवानिवृत, श्री विमल कुमार टेलर, तत्कालिन अतिरिक्त कोषाधिकारी बून्दी हाल सेवानिवृत, श्री नरेश शुक्ला, तत्कालिन क्षेत्रिय अधिकारी राजफेड कोटा, श्री अनिल कुमार राजन, क्रय विक्रय सहकारी समिति बून्दी, श्री दिनेश कुमार शर्मा, तत्कालिन प्रबन्धक हिण्डोली क्रय विक्रय सहाकारी समिति हाल अतिरिक्त चार्ज श्री केशव क्रय विक्रय सहकारी समिति के. पाटन, श्री कमलेश कुमार जैन, क्रय विक्रय सहकारी समिति नैनवां हाल सेवानिवृत, श्री घनश्याम बजाज तत्कालिन प्रबधंक केश्व क्रय विक्रय समिति के.पाटन हाल सेवानिवृत एवं लाभार्थी राजकुमार जैन के विरूद्व प्राथमिक जांच संख्या 60/2024 दिनांक 17.12.2024 पंजीबद्व की गई। जिसकी जांच श्रीमती प्रेरणा शेखावत, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई। दौराने प्राथमिक जांच परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन के बयान लेखबद्व कर शामिल जांच किये गये। श्री मुकेश मोहन गर्ग उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां बून्दी के प्रक्रियात्मक बयान मय सम्पूर्ण एस.ओ.पी. के लेखबद्व कर शामिल जांच किये गये। कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां बून्दी से निविदा से सम्बन्धित सत्यापित दस्तावेज प्राप्त कर शामिल जांच किये गये। श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन द्वारा निविदा से सम्बन्धित पेश दस्तावेजो को शामिल जांच किया गया। आरोपीगण श्री अमर सिह, तत्कालिन अध्यक्ष उप रजिस्ट्रार समितियां बून्दी हाल सेवानिवृत, श्री विमल कुमार टेलर, तत्कालिन अतिरिक्त कोषाधिकारी बून्दी हाल सेवानिवृत, श्री नरेश शुक्ला, तत्कालिन क्षेत्रिय अधिकारी राजफेड कोटा, श्री अनिल कुमार राजन, क्रय विक्रय सहकारी समिति बून्दी, श्री दिनेश कुमार शर्मा, तत्कालिन प्रबन्धक हिण्डोली क्रय विक्रय सहाकारी समिति हाल अतिरिक्त चार्ज श्री केश्व क्रय विक्रय सहकारी समिति के. पाटन, श्री कमलेश कुमार जैन, क्रय विक्रय सहकारी समिति नैनवां हाल सेवानिवृत, श्री घनश्याम बजाज तत्कालिन प्रबधंक केश्व क्रय विक्रय समिति के.पाटन हाल सेवानिवृत एवं लाभार्थी राजकुमार जैन से लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। जांच के दौरान प्राप्त मौखिक व दस्तावेजीय साक्ष्य के विश्लेषण से निम्न तथ्य स्पष्ट हुए है - 1. वर्ष 2020-21 में कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां बूंदी द्वारा वर्श 2020-21 के लिए दलहन/तिलहन के खरीद कार्य हेतु हैंडलिंग एवं परिवहन कार्य की निविदा निकाली गई थी। जिसमें परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन की फर्म पुष्पेंद्र कुमार एन्ड ब्रदर्स के द्वारा भी भाग लिया था। 2. निविदा में बूंदी जिले के सभी क्रय केन्द्रो के लिए केवल एक फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी देई को छोड़कर निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली सभी फर्मो को तकनीकी रूप से असफल घोषित कर दिया गया था, जिसमें श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन की फर्म पुष्पेंद्र कुमार एन्ड ब्रदर्स भी थी। तकनीकी रिपोर्ट में श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन की फर्म पुष्पेंद्र कुमार एन्ड ब्रदर्स के लिए तकनिकी असफलता का कारण यह बताया गया कि निविदा शर्तों के अनुसार अनुबन्ध पत्र (ट्रक मालिको से) 100/रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर संलग्न होना चाहिए तथा पुष्पेंद्र कुमार एन्ड ब्रदर्स की फर्म द्वारा ट्रान्सपोर्ट कम्पनीयों से किये गये अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत किये गये है। अनुबन्ध पत्र में वाहन संख्या एवं वाहन मालिका का तो नाम अंकित था, किन्तु वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सलंग्न नही था। जबकि टेंडर फॉर्म की तकनिकी चेक लिस्ट बिंदु संख्या 11 में कही भी नहीं लिखा था कि ट्रको का अनुबंध ट्रक मालिकों से प्राप्त करना था। 3. निविदा खोली जाने पर वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म को कार्य आदेश दिया गया था। वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म के आवेदन पत्र की पीडीएफ फाइल के पेज नंबर 10 तकनिकी - 2 पर आवेदनकर्ता फर्म का नाम नहीं लिखा गया है केवल प्रोपराइटर का नाम लिखा हुआ है। उक्त फर्म द्वारा आवेदन में एकाकी स्वामी और अविभक्त हिन्दू परिवार दोनों श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत किया है। जबकि निविदादाता केवल एक ही श्रेणी में आवेदन कर सकता है। वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म के द्वारा आवदेन में इस प्रकार की त्रुटि करने के बावजूद भी उक्त फर्म को कार्य आवंटित करना, निविदा कमेटी के सदस्यो व वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म के मालिक राजकुमार जैन की मिलीभगत होना दर्शाता है। 4. वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म के द्वारा निविदा में किये गये आवेदन पत्र की पीडीएफ फाइल के पेज नंबर 10 तकनिकी -2 पर आवेदनकर्ता प्रोपराइटर का नाम रामकुमार जैन पुत्र ताराचंद जैन लिखा हुआ है जबकि आवेदनकर्ता फर्म के द्वारा लगाए गए सभी दस्तावेजों में आवेदनकर्ता प्रोपराइटर का नाम राजकुमार जैन पुत्र ताराचंद जैन अंकित है। जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म के द्वारा निविदा में किये गये आवेदन पत्र से होती है। 5. वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म के द्वारा आवदेन पत्र के साथ लगाए गए अमानत राशि 30000.00 रूपयें के

डिमांड ड्राफ्ट में आवेदन कर्ता के नाम के स्थान पर BR PARKING किया हुआ है तथा आवेदन पत्र के साथ लगाया गया डिमांड ड्राफ्ट दिनांक 02.03.2020 का बना हुआ है। जबकि निविदा दिनांक 05.03.2020 को निकाली गयी थी। इस प्रकार डिमांड ड्राफ्ट निविदा निकालने की दिनांक से पूर्व की दिनांक का बना हुआ है। लाभार्थी राजकुमार जैन को पूर्व से ही यह ज्ञात होना कि डिमांड ड्रॉफ्ट 30 हजार रूपये का बनवाया जाना है। इससे प्रतीत होता है कि लाभार्थी को पूर्व से ही ज्ञात कि उसे ही टेंडर प्राप्त होगा तथा डी.डी. भी 30 हजार रूपये का संलग्न किया जाना है। 6. निविदा में किये गये आवेदन पत्र के पेज नंबर 10, 11, 14.16, 18, 19, और 20 पर आवेदनकर्ता का नाम और पता लिखने हेतु अंकित किया हुआ है, किन्तु वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म के द्वारा निविदा के समय किये गये आवदेन में पेज नंबर 10, 11, 14, 16, 18, 19, और 20 पर आवेदनकर्ता का नाम और पता नही लिखकर उक्त स्थानों पर वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म की मोहर व राजकुमार जैन द्वारा हस्ताक्षर किये हुये है, जो निविदा के आवेदन के मापदण्ड के अनुसार नही है। 7. वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म के द्वारा निविदा में किये गये आवेदन पत्र के साथ लगाए गए सभी ट्रको के अनुबंध की समय अवधि दिनांक 07.03.2021 को समाप्त हो चुकी थी, जबकि ठेका अवधि निविदा के आवेदन प्रारूप के पेज नंबर 3 के अनुसार 31.3.2021 तक के लिए थी तो वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म के द्वारा दिनांक 08.03.2021 से दिनांक 31.03.2021 तक माल का परिवहन किन वाहनो से किया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म द्वारा दिनांक 08.03.2021 से दिनांक 31.03.2021 तक माल का परिवहन बिना अनुबंधित वाहनो द्वारा किया गया है। 8. वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म के द्वारा निविदा में किये गये आवेदन पत्र के साथ लगाए गए आवेदन पत्र में पेज नंबर 104 पर अनुबंध पत्र में ट्रक मालिक का नाम दीपिका शर्मा पत्नि रमेश चंद शर्मा लिखा हुआ है जबकि पेज नंबर 107 पर सलग्न आर सी में मालिक का नाम दीपिका जोशी पुत्र रमेश जोशी अंकित है। इसी प्रकार आवेदन पत्र में पेज नंबर 101 पर अनुबंध पत्र में ट्रक मालिक का नाम इक़बाल खान आत्मज श्री शोखीत खान लिखा हुआ है जबकि पेज नंबर 103 पर सलग्न आर सी में मालिक का नाम इक़बाल खान आत्मज श्री शोखीत अली अंकित होने के बावजूद व दोनो नामों में भिन्नता होने के बावजूद भी निविदा कमेटी द्वारा वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म के द्वारा किये आवेदन को अस्वीकार नही किया गया है। 9. आवेदन पत्र eprocurement पोर्टल पर अपलोड करने की रसीद में व्यापार स्थापना वर्ष 2018 लिखा हुआ है जबकि वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म द्वारा लगाए गए अनुभव प्रमाण पत्र 2012-13, 2013-14 के लगाए गए है। eprocurement पोर्टल पर अपलोड करने की रसीद के आधार पर यह कहा जा सकता है कि फर्म जब वर्ष 2018 से प्रारम्भ की गई तो वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म द्वारा अनुभव प्रमाणपत्र 2012-13, 2013-14 किस आधार से लगाये गये है। इस प्रकार की त्रुटि करने के बावजूद भी निविदा कमेटी द्वारा वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म के आवेदन को अस्वीकार नही करना, निविदा कमेटी अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा मनमानी करना दर्शाता है। 10. निविदा कमेटी द्वारा मनमाने तरीके से केवल वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म को तकनिकी रूप से सफल घोषित करके 41 प्रतिशत अधिक कार्य दर से वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी को ही टेंडर दिया गया था, जो कि पूर्व के वर्षो की आपेक्षा बहुत ज्यादा है तथा आगामी वर्षो में भी इतनी अधिक दर से किसी भी फर्म को टेंडर नही दिया गया। जबकि अन्य फर्मा द्वारा उक्त कार्य, वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म की कार्य दर से कम कार्य दर पर दिया जा सकता था। इस प्रकार वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म व निविदा कमेटी के सदस्यों ने आपस में सांठ गांठ कर वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी को 41 प्रतिशत कार्य दर पर कार्य दिया गया था। जिससे सरकार/राजकोष को हानि हुई है। 11. निविदा कमेटी के सदस्यों द्वारा वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म को छोडकर अन्य सभी फर्मों के तकनीकी फर्मों में छोटी छोटी कमियां बताकर तकनीकी रूप से अस्वीकार किये गये थे। केवल वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म का आवेदन उपरोक्त सभी कमियों होते हुए भी, तकनिकी रूप से स्वीकृत होना ये दर्शाता है कि कही न कहीं निविदा प्रक्रिया को करते समय कमेटी के सदस्यो द्वारा नियमो की अवहेलना करते हुए वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म को निविदा स्वीकृत की गयी थी। सम्पूर्ण जांच से पाया गया है कि:- वर्ष 2020-21 में कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां बूंदी द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए दलहन/तिलहन के खरीद कार्य हेतु हैंडलिंग एवं परिवहन कार्य की निविदा निकाली गई थी। उक्त निविदा में परिवादी की फर्म पुष्पेंद्र कुमार एन्ड ब्रदर्स द्वारा भी भाग लिया था। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली सभी फर्मों में से केवल वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म को छोडकर बाकी सभी फर्मा को तकनीकी रूप से असफल घोषित कर दिया गया था। तकनीकी रिपोर्ट में परिवादी की फर्म पुष्पेंद्र कुमार एन्ड ब्रदर्स को निविदा शर्तों के अनुसार अनुबन्ध पत्र (ट्रक मालिको से) 100/रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर संलग्न नही होने तथा अनुबन्ध पत्र में वाहन संख्या एवं वाहन मालिक का तो नाम अंकित था, किन्तु वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सलंग्न नही होने के कारण असफल किया गया था। जबकि टेंडर फॉर्म की तकनिकी चेक लिस्ट बिंदु संख्या 11 में कही भी नहीं लिखा था कि ट्रको का अनुबंध ट्रक मालिकों से प्राप्त करना था। वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी द्वारा निविदा में किये गये आवेदन में आवेदनकर्ता फर्म का नाम नहीं लिखा गया है केवल प्रोपराइटर का नाम लिखा हुआ एवं आवेदन में एकाकी स्वामी और अविभक्त हिन्दू परिवार दोनों श्रेणी में आवेदन किया था, जबकि निविदादाता केवल एक ही श्रेणी में आवेदन कर सकता था। आवेदन में आवेदनकर्ता प्रोपराइटर का नाम रामकुमार जैन अंकित था, जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में आवेदनकर्ता प्रोपराइटर का नाम राजकुमार जैन अंकित है। निविदा दिनांक 05.03.2020 को निकाली गयी थी, किन्तु वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म द्वारा आवेदन पत्र के साथ लगाया गया डिमांड ड्राफ्ट दिनांक 02.03.2020 का बना हुआ था। यह दर्शाता है कि लाभार्थी राजकुमार जैन को पूर्व से ही यह ज्ञात था कि डिमांड ड्रॉफ्ट 30 हजार रूपये का

बनवाया जाना है तथा टेंडर भी उसे ही प्राप्त होगा। वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म के द्वारा आवेदन पत्र के साथ लगाए गए अनुबंध पत्र में ट्रक मालिक का नाम दीपिका शर्मा पत्नि रमेश चंद शर्मा लिखा हुआ है जबकि आर सी में मालिक का नाम दीपिका जोशी पुत्र रमेश जोशी तथा इसी तरह ट्रक मालिक का नाम इक़बाल खान आत्मज श्री शोखीत खान लिखा हुआ है जबकि आर सी में मालिक का नाम इक़बाल खान आत्मज श्री शोखीत अली अंकित था। आवेदन पत्र eprocurement पोर्टल पर अपलोड करने की रसीद में व्यापार स्थापना वर्ष 2018 लिखा हुआ है जबकि वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म द्वारा लगाए गए अनुभव प्रमाण पत्र 2012-13, 2013-14 के लगाए गए है। निविदा कमेटी द्वारा वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म को तकनिकी रूप से सफल घोषित करके 41 प्रतिशत अधिक कार्य दर से कार्य दिया गया था, जो कि अन्य वर्षो की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। जबकि अन्य फर्मो द्वारा उक्त कार्य कम कार्य दर पर दिया जा सकता था। परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन की फर्म तथा अन्य फर्मो के आवेदनों को छोटी छोटी कमियां होने के बावजूद भी तकनीकी रूप से अस्वीकार किये गये। जबकि वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म के आवेदन में उपरोक्त बहुत ज्यादा कमियां होने के बावजूद भी निविदा कमेटी के अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म के मालिक राजकुमार जैन को लाभ पहुंचाने की नियत से 41 प्रतिशत अधिक कार्य दर से कार्य दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि निविदा कमेटी के अध्यक्ष श्री अमर सिंह, सदस्य श्री घनश्याम बजाज, श्री विमल कुमार टेलर, श्री नरेश शुक्ला, श्री अनिल कुमार राजन, श्री दिनेश कुमार शर्मा, श्री कमलेश कुमार जैन द्वारा वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म के मालिक श्री राजकुमार जैन से मिलीभगत की गई है। परिवादी श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन की फर्म तथा अन्य फर्मा के आवेदनों को तकनीकी रूप से निरस्त किया जाकर वर्धमान ट्रेंडिग कम्पनी फर्म के आवेदन में 7-8 कमियां होने के बावजूद भी प्रस्तावित निविदा को सफल घोषित करके, 41 प्रतिशत अधिक कार्य दर से निविदा जारी की गई। जिससे सरकारी राजकोष को हानि हुई। निविदा कमेटी के अध्यक्ष, सदस्यों एवं लाभार्थी श्री राजकुमार जैन द्वारा मिलीभगत कर राजकोष को हानि पहुंचाना प्राथमिक जांच से प्रमाणित पाया गया है। अतः तत्कालीन निविदा कमेटी के 1. अध्यक्ष श्री अमर सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह उम्र 65 साल जाति राजपूत निवासी आनन्द विहार कोटा रोड बारां, थाना कोतवाली जिला बारां हाल सेवानिवृत एवं तत्कालीन निविदा कमेटी के सदस्यगण 2. श्री विमल कुमार टेलर पुत्र श्री भंवर लाल उम्र 64 साल जाति दर्जी निवासी 97 सज्जन विला, द्वारिका नगरी देवपुरा कोटा रोड बून्दी थाना सदर जिला बून्दी हाल सेवानिवृत, 3. श्री नरेश शुक्ला श्री विश्व प्रकाश शुक्ला उम्र 58 साल जाति ब्राह्म्ण निवासी एए-1 जनकपुरी प्रथम, इमली वाला फाटक जयपुर, थाना विधानसभा जयपुर हाल आदेशो की प्रतिक्षा में उप रजिस्ट्रार जयपुर, तत्कालीन निविदा कमेटी के सदस्य सचिवगण 4. श्री अनिल कुमार राजन पुत्र श्री उम्मेद सिंह राजन उम्र 52 साल जाति राजपूत निवासी मकान नं. 298, रजत कॉलोनी बून्दी थाना सदर जिला बून्दी हाल निरीक्षक ऑडिट कार्यालया विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां बून्दी, 5. श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री देवीशंकर शर्मा उम्र 36 साल जाति ब्राह्म्ण निवासी ग्राम पोस्ट सुवासा, थाना के पाटन जिला बून्दी हाल अतिरिक्त चार्ज श्री केशव क्रय विक्रय सहकारी समिति के पाटन, 6. श्री कमलेश कुमार जैन पुत्र श्री फूलचन्द जैन उम्र 63 साल जाति जैन निवासी जैन नसीया मन्दिर के पास वार्ड नम्बर 17 देई, थाना देई जिला बून्दी हाल सेवानिवृत, 7. श्री घनश्याम बजाज पुत्र श्री गोपी गणेश बजाज उम्र 71 साल जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 12 केश्वराय पाटन, थाना के पाटन जिला बून्दी तत्कालीन संविदाकर्मी प्रबंधक/लेखापाल केश्व क्रय विक्रय समिति हाल सेवानिवृत एवं 8. लाभार्थी श्री राजकुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन उम्र 51 साल जाति जैन निवासी वार्ड नम्बर 16 देई, थाना देई जिला बून्दी हाल प्रोपराईटर वर्धमान ट्रेडिंग कम्पनी देई के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 12, 13(1)ए, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में अभियोग पंजीबद्व करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक भ्रनिब्यूरो जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (हरीश भारती) उप पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी...............कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हरीश भारती ,उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से आरोपीयान 1. श्री अमर सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह उम्र 65 साल जाति राजपूत निवासी आनन्द विहार कोटा रोड बारां, थाना कोतवाली जिला बारां हाल अध्यक्ष सेवानिवृत एवं तत्कालीन निविदा कमेटी के सदस्यगण 2. श्री विमल कुमार टेलर पुत्र श्री भंवर लाल उम्र 64 साल जाति दर्जी निवासी 97 सज्जन विला, द्वारिका नगरी देवपुरा कोटा रोड बून्दी थाना सदर जिला बून्दी तत्कालीन अति. कोषाधिकारी हाल सेवानिवृत, 3. श्री नरेश शुक्ला श्री विश्व प्रकाश शुक्ला उम्र 58 साल जाति ब्राह्म्ण निवासी एए-1 जनकपुरी प्रथम, इमली वाला फाटक जयपुर, थाना विधानसभा जयपुर हाल आदेशो की प्रतिक्षा में उप रजिस्ट्रार जयपुर, तत्कालीन निविदा कमेटी के सदस्य सचिवगण 4. श्री अनिल कुमार राजन पुत्र श्री उम्मेद सिंह राजन उम्र 52 साल जाति राजपूत निवासी मकान नं. 298, रजत कॉलोनी बून्दी थाना सदर जिला बून्दी हाल निरीक्षक ऑडिट कार्यालया विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां बून्दी, 5. श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री देवीशंकर शर्मा उम्र 36 साल जाति ब्राह्म्ण निवासी ग्राम पोस्ट सुवासा, थाना के पाटन जिला बून्दी हाल अतिरिक्त चार्ज श्री केशव क्रय विक्रय सहकारी समिति के पाटन, 6. श्री कमलेश कुमार जैन पुत्र श्री फूलचन्द जैन उम्र 63 साल जाति जैन निवासी जैन नसीया मन्दिर के पास वार्ड नम्बर 17 देई, थाना देई जिला बून्दी हाल सेवानिवृत, 7. श्री घनश्याम बजाज पुत्र श्री गोपी गणेश बजाज उम्र 71 साल जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 12 केश्वराय पाटन, थाना के पाटन जिला बून्दी तत्कालीन संविदाकर्मी प्रबंधक/लेखापाल केश्व क्रय

विक्रय समिति हाल सेवानिवृत एवं 8. लाभार्थी श्री राजकुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन उम्र 51 साल जाति जैन निवासी वार्ड नम्बर 16 देई, थाना देई जिला बून्दी हाल प्रोपराईटर वर्धमान ट्रेडिंग कम्पनी देई के विरूद्ध धारा 7, 12, 13(1)ए, 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ज्ञानचंद मीना, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 62 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1616-22 दिनांक 04.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2- वित्त (राजस्व) विभाग राजस्थान जयपुर 3- रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर 4- मुख्य व्यवस्थापक उप रजिस्ट्रार बूंदी 5- संचालक मंडल क्रय-विक्रय सहकारी समिति देई 6- उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा 7- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ghyan Chand Meena **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 0?.11/2025

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1960				
2	Male	1961				
3	Male	1967				
4	Male	1973				
5	Male	1989				
6	Male	1962				
7	Male	1954				
8	Male	1974				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)